

अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए उपाय

कतिपय मामलों में वितरित लाभों पर कर की दरों में वृद्धि

धारा 115ण की उपधारा (1) में, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध है कि किसी कंपनी द्वारा 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् लाभांशों के रूप में चाहे वे चालू लाभों में से हों या संचित लाभों में से, घोषित, वितरित या संदत्त किसी रकम पर साढ़े बारह प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आय-कर (जिसे "वितरित लाभ पर कर" भी कहा गया है) प्रभारित किया जाएगा।

वितरित लाभों पर ऐसे कर की दर को साढ़े बारह प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगा।

अध्याय 12-ड की धारा 115द की उपधारा (2) में, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध है कि विनिर्दिष्ट कंपनी या किसी पारस्परिक निधि द्वारा अपने यूनिट धारकों को वितरित की गई आय की रकम कर से प्रभार्य होगी और ऐसी विनिर्दिष्ट कंपनी या पारस्परिक निधि, ऐसी वितरित आय पर, किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, साढ़े बारह प्रतिशत और किसी अन्य व्यक्ति को वितरित आय पर बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर का संदाय करने के लिए दायी होगी। किसी साम्या उन्मुखी पारस्परिक निधि द्वारा वितरित आय पर कोई कर संदेय नहीं है।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध भी किया जा सके कि जहां आय किसी द्रव्य बाजार पारस्परिक निधि या तरल निधि द्वारा वितरित की गई है वहां ऐसी निधि ऐसी वितरित आय पर पच्चीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आय-कर का संदाय करने के लिए दायी होगी। इस प्रयोजन के लिए धारा 115ण के पश्चात् स्पष्टीकरण में "द्रव्य बाजार परस्पर निधि" और "तरल निधि" की परिभाषाओं को उपबंधित करने का प्रस्ताव है। किसी द्रव्य बाजार पारस्परिक निधि या तरल निधि से भिन्न किसी निधि द्वारा वितरित आय पर कर की विद्यमान दरें वही बनी रहेंगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगा।

[खंड 27, 28 और 29]

राजस्व कमियों को दूर करने के उपाय

विशेष आर्थिक ज़ोन में केवल नई इकाइयों के लिए कर फायदा

आय-कर अधिनियम की धारा 10कक यह उपबंध करती है कि किसी उद्यमी की, विशेष आर्थिक ज़ोन में स्थित उसकी इकाई से कुल आय की संगणना के लिए निम्नलिखित कटौतियां अनुज्ञात होगी:

- पात्र कारबार के प्रारंभ होने के वर्ष से पांच क्रमिक निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए ऐसे कारबार में किए गए निर्यात से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों का शतप्रतिशत;
- पांच और क्रमिक निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे लाभों और अभिलाभों का पचास प्रतिशत और तत्पश्चात्;
- आगामी पांच क्रमिक निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे पूर्ववर्ष के जिसके संबंध में कटौती अनुज्ञात की जानी है, लाभ और हानि लेखा में विकलित और विनिर्दिष्ट रीति में कारबार के प्रयोजनों के लिए सृजित और उपयोग किए जाने वाले एक आरक्षित खाते में जमा लाभ के पचास प्रतिशत से अनधिक कोई रकम।

उक्त धारा की उपधारा (4) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, यह उपबंधित है कि धारा 10कक किसी ऐसे उपक्रम को लागू है, जो ऐसी इकाई है, जिसने किसी विशेष आर्थिक ज़ोन में 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ किया है या आरंभ करता है या सेवाएं उपलब्ध कराता है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विशेष आर्थिक ज़ोनों का आशय नए उद्योग और नए निवेश का संवर्धन करना है न कि कर रियायतों का फायदा लेने के लिए विद्यमान उद्योगों के स्थानांतरण को सुकर बनाना, यह प्रस्ताव किया जाता है कि धारा 10कक की उपधारा (4) को प्रतिस्थापित किया जाए, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि धारा 10 कक ऐसे किसी उपक्रम को लागू होगी, जो ऐसी इकाई है, जो सभी निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है, अर्थात:-

- उसने, किसी विशेष आर्थिक ज़ोन में 1 अप्रैल, 2006 को या इसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन या सेवा उपलब्ध कराना आरंभ किया है या करता है;
- यह किसी पहले से विद्यमान कारबार के विभाजन या पुनःसंनिर्माण से नहीं बना है।
- यह किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में प्रयुक्त किसी मशीनरी या संयंत्र के किसी नए कारबार को अंतरण किए जाने से नहीं बना है।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि प्रस्तावित उपधारा (4) के खंड (ii) में उल्लिखित शर्तें किसी ऐसे उपक्रम, जो इकाई है, के संबंध में लागू नहीं होंगी, जो निर्धारित द्वारा किसी ऐसे उपक्रम के कारबार के, जो धारा 33ख में निर्दिष्ट है, उस धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में और अवधि के भीतर पुनःस्थापन, पुनर्गठन या पुनःप्रवर्तन के परिणामस्वरूप बना है।

एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करके यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि धारा 80झक की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 के उपबंध उक्त उपधारा (4) के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए लागू होंगे।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 10 फरवरी, 2006 से प्रभावी होगा।

[खंड 7]

धारा 40 क (3) के उपबंधों को सुदृढ़ करना

धारा 40क की उपधारा (3) के विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि निर्धारित द्वारा उपगत कोई ऐसा व्यय, जिसकी बाबत बीस हजार रुपए से अधिक का संदाय बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चेक द्वारा या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा किए जाने से अन्यथा किया जाता है, ऐसे संदाय के बीस प्रतिशत तक की कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

उक्त उपधारा को जहां संदाय इसके उपबंधों के उल्लंघन में किया गया था वहां व्यय के सौ प्रतिशत की कटौती के लिए उपबंध करते हुए वित्त अधिनियम, 1968 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था। तत्पश्चात्, वित्त अधिनियम, 1995 ने कटौती ऐसे व्यय के जिसके प्रति संदाय इसके उपबंधों के उल्लंघन में किया गया था, बीस प्रतिशत तक निर्धारित करने के लिए 1 अप्रैल, 1996 से इस उपधारा का संशोधन किया था।

उक्त उपधारा के उपबंधों को प्रति-आदतन उपाय के रूप में कार्य करना था। सूचना में यह आया है कि सौ प्रतिशत कटौती को बीस प्रतिशत कटौती द्वारा प्रतिस्थापित करने से उपबंधों का भयपरतिकारी प्रभाव कम हुआ है। अतः भयपरतिकारी प्रभाव को पुनः दृढ़ करने के लिए धारा 40 क की उपधारा (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कि इसके उपबंधों के उल्लंघन में किए गए संदायों की सौ प्रतिशत कटौती का उपबंध किया जा सके।

ऐसे अवसर आते हैं जब व्यय की कटौती का दावा किसी एक वर्ष में किया जाता है और ऐसे व्यय के प्रति संदाय, उक्त उपधारा के उपबंधों के उल्लंघन में किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में किया जाता है। ऐसे मामलों में उक्त धारा का विद्यमान पहला परंतुक, ऐसे पूर्ववर्ष की, जिसमें व्यय के प्रति संदाय करने का दायित्व उद्गत हुआ था, कुल आय की पुनःसंगणना करने का उपबंध करता है। ऐसी पुनः संगणना धारा 154 के उपबंधों के अधीन अनुज्ञात है और ऐसी पुनः संगणना के संबंध में चार वर्ष की परिसीमा की गणना, उस वर्ष के, जिसमें धारा 40क की उपधारा (3) के उपबंधों के उल्लंघन में संदाय किया गया था, ठीक आगामी निर्धारण वर्ष के अंत से की जाती है। अनेक मामलों में, जब कोई उपचार उपलब्ध नहीं है, उल्लंघन चार वर्ष के अवसान पर सूचना में आता है। पूर्व निर्धारणों के सुधार से निर्धारिती को असुविधा होती है और विभाग की कागजी कार्यवाही में वृद्धि होती है। अतः, यह संशोधन किसी पूर्व वर्ष में कटौती की वर्तमान पद्धति को विधि के उल्लंघन में किए गए संदायों को किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में किसी ऐसे वर्ष के, जिसमें विधि के उल्लंघन में संदाय किया गया है, कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ मानते हुए समकालीन कटौती की सरलीकृत पद्धति द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करता है। संदाय के वर्ष में आय को माने जाने की यह पद्धति निर्धारिती को, यह अभिपुष्टि करने के लिए कि उसकी विवरणी में कुल आय की रकम और अन्य विशिष्टियां सत्य रूप में कथित हैं, विधि के अधीन विद्यमान अपेक्षा के निबंधनों में इस समझी गई आय की घोषित करने के लिए आबद्ध करती है।

यह और उपबंध किए जाने का भी प्रस्ताव है कि कोई नामंजुरी नहीं की जाएगी या किसी संदाय को कारबार अथवा वृत्ति का लाभ या अभिलाभ नहीं समझा जाएगा, यदि- (i) उपबंध बैंककारी सुविधा की प्रकृति और विस्तार, (ii) कारबार सामाजिकता प्रतिफलों, और (iii) अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे मामलों में तथा ऐसी परिस्थितियों में जो विहित की जाएं, विनिर्दिष्ट लिखतों से अन्यथा, बीस हजार रुपए से अधिक कोई संदाय किया जाता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2008-09 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 13]

आय की विशिष्टियां छिपाने या आय की अशुद्ध विशिष्टियां देने के लिए शास्ति के संबंध में उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

धारा 271 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 4 के खण्ड (ख) के विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंधित किया गया है कि ऐसे मामले में जिसे उक्त उपधारा (1) का स्पष्टीकरण 3 लागू होता है, अपवंचन किए जाने के लिए ईप्सित कर की रकम से निर्धारित कुल आय पर कर अभिप्रेत है।

उक्त स्पष्टीकरण 4 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे मामले में, जिसे उक्त स्पष्टीकरण 3 लागू होता है, जिसमें अपवंचन किए जाने के लिए ईप्सित कर की रकम से धारा 148 के अधीन सूचना जारी किए जाने से पूर्व अग्रिम कर, स्रोत से काटे गए कर, स्रोत से संगृहीत कर और संदत्त स्वः निर्धारित कर की रकम घटाकर निर्धारित कुल रकम पर कर अभिप्रेत होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-04 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

धारा 271 की उपधारा (1) के विद्यमान स्पष्टीकरण 5 में यह उपबंध है कि जहां धारा 132 के अधीन तलाशी के दौरान, निर्धारिती के बारे में पाया जाता है कि वह किसी धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज का (जिसे इस स्पष्टीकरण में इसके पश्चात् आस्ति कहा गया है) स्वामी है और निर्धारिती यह दावा करता है कि उसने ऐसी आस्तियां, —(i) ऐसे किसी पूर्ववर्ष के लिए जिसका अंत तलाशी की तारीख से पूर्व ही हो गया है, किंतु ऐसे वर्ष के लिए आय की विवरणी उक्त तारीख से पहले नहीं दी गई है या जहां ऐसी विवरणी उक्त तारीख से पहले दी गई है वहां ऐसी आय उसमें घोषित नहीं की गई है; या (ii) ऐसे किसी पूर्ववर्ष के लिए जिसका अंत तलाशी की तारीख को या उसके पश्चात् होना है, वहां इस बात के होते हुए भी कि उसने ऐसी आय तलाशी की तारीख को या उसके पश्चात् दी गई आय की किसी विवरणी में घोषित कर दी है, उसके बारे में, धारा 271 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन किसी शास्ति के अधिरोपण के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि उसने अपनी आय की विशिष्टियां छिपाई है या ऐसी आय की गलत विशिष्टियां दी हैं। तथापि, यदि उसमें विहित कतिपय शर्तों को पूरा कर दिया जाता है तो शास्ति उद्गृहीत नहीं की जाएगी।

उक्त स्पष्टीकरण 5 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त स्पष्टीकरण के उपबंध, जहां धारा 132 के अधीन तलाशी 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् प्रारंभ की गई थी वहां उस मामले में ही लागू होंगे।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा और उन मामलों को लागू होगा जहां धारा 132 के अधीन तलाशी 1 जून, 2007 के पूर्व प्रारंभ की गई थी।

धारा 271 की उपधारा (1) में एक नया स्पष्टीकरण 5क अंतःस्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन आरंभ की गई तलाशी के अनुक्रम में निर्धारिती—(i) किसी धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज का (जिसे इस नए प्रस्तावित स्पष्टीकरण में इसके पश्चात् आस्तियां कहा गया है) स्वामी पाया जाता है और निर्धारिती यह दावा करता है कि ऐसी आस्तियां उसके द्वारा किसी पूर्ववर्ष के लिए अपनी आय का उपयोग (पूर्णतः या भागतः) करके अर्जित की गई है; या (ii) किसी लेखाबही या अन्य दस्तावेजों या संव्यवहारों में किसी प्रविष्टि के आधार पर कोई आय का स्वामी पाया जाता है और यह दावा करता है कि लेखाबही या अन्य दस्तावेजों या अन्य संव्यवहारों में ऐसी प्रविष्टि किसी पूर्ववर्ष के लिए उसकी आय (पूर्णतः या भागतः) प्रदर्शित करती है। जो तलाशी की तारीख से पूर्व समाप्त हो गया है और ऐसे वर्ष के लिए आय की विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख समाप्त हो गई है तथा निर्धारिती ने विवरणी फाइल नहीं की है तब इस बात के होते हुए कि ऐसी आय तलाशी की तारीख को या उसके पश्चात् दी गई आय की किसी विवरणी में उसके द्वारा घोषित की गई है, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने इस धारा की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन शास्ति के अधिरोपण के प्रयोजनों के लिए अपनी आय की विशिष्टियों को छिपाया है या ऐसी आय की अशुद्ध विशिष्टियां दी हैं।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा और निर्धारण वर्ष 2007-08 और पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए उन मामलों को लागू होगा जहां धारा 132 के अधीन तलाशी 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् प्रारंभ की जाती है।

एक नई धारा 271कक भी अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे ऐसे किसी मामले में, जहां तलाशी 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन आरंभ की गई है, वहां निर्धारिती उसके द्वारा संदेय कर के अतिरिक्त, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष की अप्रकटित आय के दस प्रतिशत की दर से संगणित राशि का, शास्ति के रूप में संदाय करेगा। तथापि, इस धारा के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि निर्धारिती—(i) तलाशी के अनुक्रम में धारा 132 की उपधारा (4) के अधीन विवरण में अप्रकटित आय को स्वीकार करता है और उस रीति को विनिर्दिष्ट करता है जिसमें ऐसी आय व्युत्पन्न की गई है; (ii) उस रीति का प्रमाण देता है, जिसमें अप्रकटित आय व्युत्पन्न की गई थी; और (iii) अप्रकटित आय की बाबत ब्याज, यदि कोई हो, के साथ कर का संदाय करता है। यह और उपबंध

करने का प्रस्ताव है कि धारा 271 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपबंधों के अधीन कोई शास्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट अप्रकटित आय की बाबत निर्धारिती पर उद्गृहीत या अधिरोपित नहीं की जाएगी। यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि धारा 274 और धारा 275 के उपबंध, जहां तक हो सके, प्रस्तावित नई धारा में निर्दिष्ट शास्ति के संबंध में लागू होंगे।

इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह प्रस्तावित है कि अप्रकटित आय से अभिप्रेत है—(i) कोई धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज या लेखाबही में किसी प्रविष्टि या अन्य दस्तावेजों या संव्यवहारों से, जो धारा 132 के अधीन तलाशी के दौरान पाए जाते हैं, प्रदर्शित, पूर्णतः या भागतः विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष की कोई आय, जिसे तलाशी की तारीख को या उससे पूर्व ऐसे पूर्ववर्ष के संबंध में सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों में अभिलिखित नहीं किया गया है; या तलाशी की तारीख से पूर्व मुख्य आयुक्त या आयुक्त को अन्यथा प्रकट नहीं किया गया है; या (ii) विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष के संबंध में, सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों में अभिलिखित किसी व्यय की बाबत किसी प्रविष्टि द्वारा प्रदर्शित, पूर्णतः या भागतः विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष की कोई आय, जिसे मिथ्या पाया जाता है और इस प्रकार नहीं पाया जाता यदि तलाशी न ली गई होती।

इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट करने का भी प्रस्ताव है कि विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष से वह पूर्ववर्ष अभिप्रेत है, (i) जो तलाशी की तारीख से पूर्व समाप्त हो गया है किंतु उस वर्ष के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की तारीख तलाशी की तारीख से पूर्व समाप्त नहीं हुई है और निर्धारिती ने उक्त तारीख से पूर्व पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी नहीं दी है ; या (ii) जिसमें तलाशी ली गई थी।

प्रस्तावित नई धारा 271ककक में शास्ति के उद्ग्रहण के विरुद्ध आयुक्त को अपील का उपबंध करने का भी प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगा और निर्धारण वर्ष 2007-08 तथा पश्चात्पूर्ती वर्षों के संबंध में उन मामलों को लागू होगा जहां धारा 132 के अधीन तलाशी 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् प्रारंभ की जाती है।

[खंड 62, खण्ड 67, खण्ड 68]

प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सुव्यवस्थीकरण और सरलीकरण तथा अनुपालन प्रक्रियाएं

'निर्धारण अधिकारी' की परिभाषा और कतिपय अन्य आय-कर प्राधिकारियों की परिभाषा का स्पष्टीकारक संशोधन

धारा 2 के खंड (7क) के विद्यमान उपबंधों के अधीन "निर्धारण अधिकारी" पद ऐसे सहायक आयुक्त या उपायुक्त या सहायक निदेशक या उपनिदेशक या आय कर अधिकारी को सम्मिलित करने के लिए परिभाषित किया गया है, जिनमें धारा 120 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन जारी निदेशों या आदेशों के आधार पर सुसंगत अधिकारिता निहित है। ऐसा संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक, जिसे धारा 120 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन निदेश दिया जाता है, इस अधिनियम के अधीन किसी निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त सभी या किन्ही शक्तियों का भी प्रयोग कर सकता है या उसे समनुदेशित सभी या किन्ही कृत्यों का भी पालन कर सकता है। आय कर प्राधिकारी - "अपर आयुक्त" और "अपर निदेशक" उक्त परिभाषा में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किए गए थे चूंकि "अपर आयुक्त" और "अपर निदेशक" क्रमशः उक्त धारा के खंड (28ग) और (28घ) के अधीन संयुक्त आयुक्त और संयुक्त निदेशक की परिभाषा में सम्मिलित किए गए थे।

"निर्धारण अधिकारी" पद के अर्थ को स्पष्ट करने की दृष्टि से, उक्त खंड (7क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उक्त खंड में अपर आयुक्त को सम्मिलित किया जा सके। यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 जून, 1994 से प्रभावी होगा।

"निर्धारण अधिकारी" पद के अर्थ को स्पष्ट करने की दृष्टि से, उक्त खंड (7क) का संशोधन करने का यह और प्रस्ताव किया जाता है कि जिससे अपर निदेशक को उक्त खंड में सम्मिलित किया जा सके। यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अक्टूबर, 1996 से प्रभावी होगा।

उक्त धारा में खंड (झग) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि "अपर आयुक्त" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन अपर आय-कर आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाए। उक्त संशोधन स्पष्टीकारक प्रकृति का है। उक्त धारा में खण्ड (झघ) अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है उससे यह उपबंध किया जा सके कि अपर निदेशक से धारा 112 की उपधारा (1) के अधीन आय करके अपर निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है। यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 जून, 1994 से प्रभावी होगा।

धन-कर अधिनियम में समान संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिसमें यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारण अधिकारी के अन्तर्गत "अपर आयुक्त" और 'अपर निदेशक' भी हैं।

उक्त धारा में खंड (9ग) अन्तःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि "सहायक निदेशक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन सहायक आय-कर आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाए। यह संशोधन भूतलक्षी रूप से अप्रैल, 1988 से प्रभावी होगा।

[खंड 3 और 74]

विहित प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदन की शक्ति द्वारा कतिपय पूर्त और धार्मिक एककों की अधिसूचना की शक्ति का प्रतिस्थापन

धारा 10 के खंड (23ग) का उपखंड (iv) यह उपबंध करता है कि किसी निधि या ऐसे पूर्त प्रयोजनों के लिए स्थापित संस्था की, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में निधि या संस्था के उद्देश्यों तथा संपूर्ण भारत या किन्हीं राज्यों में इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित की जाए, की आय छूट प्राप्त होगी। धारा 10 का खंड (23ग) का उपखंड (v) उपबंध करता है कि किसी न्यास (जिसमें कोई अन्य विधिक बाध्यता भी है) लोक धार्मिक प्रयोजनों के लिए पूर्णतः या लोक धार्मिक तथा पूर्त प्रयोजनों के लिए सम्पूर्णतः संस्था, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाए, को आय छूट प्राप्त होगी।

उक्त उपखंड (iv) तथा उपखंड (v) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी छूट उसमें निर्दिष्ट एककों को उपलब्ध होगी यदि उन्हें विहित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

पारिणामिक संशोधन धारा 10 के खंड (23ग) के दूसरे परन्तुक, नौवें परन्तुक तथा तेरहवें परन्तुक में प्रस्तावित किये जाते हैं जिससे उक्त उपखंडों के अधीन जारी अधिसूचना के अतिरिक्त उक्त खंड के उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन अनुदत्त अनुमोदन के प्रति निर्देश को सम्मिलित किया जा सके। पन्द्रहवें परन्तुक के पश्चात् एक नया परन्तुक अन्तःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सभी आवेदन पत्र, जिनकी बाबत 1 जून, 2007

से पूर्व उक्त खंड (iv) या खंड (v) के अधीन कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, विहित प्राधिकारी को उस दिन अन्तरित हो जाएंगे और विहित प्राधिकारी उस प्रक्रम पर उन उपखंडों के अधीन अनुमोदन प्रदान करने के लिए ऐसे आवेदनों पर कार्यवाही करेगा जिस प्रक्रम पर वे (आवेदन) उस दिन थे।

पारिणामिक संशोधन का भी धारा 143 की उपधारा (3) के परन्तुक के उपखंड (ii) में प्रस्ताव किया गया है। पारिणामिक संशोधन का धारा 296 में प्रस्ताव किया गया है जिससे यह उपबंध हो सके कि धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) के अधीन 1 जून, 2007 से पहले जारी अधिसूचनाएं विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संसद के सदन के समक्ष रखी जाएंगी।

ये संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होंगे।

[खंड 6, 38 और 71]

पूर्त या धार्मिक न्यास अथवा संस्थाओं के लिए सृजन या स्थापना के एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए फाइल करने की अपेक्षा को हटाना

धारा 12क के विद्यमान उपबंधों के अधीन, धारा 11 और धारा 12 के अधीन छूट का दावा करने हेतु, किसी पूर्त या धार्मिक न्यास या संस्था से इसके सृजन या स्थापना की तारीख से एक वर्ष के भीतर आयुक्त को विहित प्ररूप या विहित रीति में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा की जाती है तथा धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत होना पड़ेगा। यह धारा यह भी उपबंध करती है कि जहां ऐसा आवेदन उपरोक्त अवधि के पश्चात किया जाता है, वहां आयुक्त ऐसे विलम्ब को माफ कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि आवेदन में विलम्ब पर्याप्त कारणों से हुआ। विलम्ब की ऐसी माफी पर धारा 11 और धारा 12 के उपबंध, ऐसे न्यास के सृजन या संस्था की स्थापना की तारीख से ऐसे न्यास या संस्था की आय के संबंध में लागू होंगे। तथापि आयुक्त के इस प्रकार संतुष्ट न होने पर, धारा 11 और धारा 12 के उपबंध केवल उस वित्तीय वर्ष की पहली तारीख से लागू होंगे जिसमें आवेदन किया जाता है।

धारा 12क में संशोधन यह उपबंध करने के लिए प्रस्तावित है कि खण्ड (क) के उपबंध 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात किए गए आवेदन के संबंध में लागू नहीं होंगे।

धारा 12क को धारा 12क की उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित करके एक नया खण्ड (कक) अंतः स्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि धारा 11 और धारा 12 के उपबंध उस न्यास या संस्था की आय के संबंध में लागू नहीं होंगे जिसने जून, 2007 की पहली तारीख से पूर्व खण्ड (क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन नहीं किया है, जब तक कि आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात विहित प्ररूप और विहित रीति में आयुक्त को ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन नहीं करता है तथा ऐसा न्यास या संस्था धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है।

धारा 12क में एक नई उपधारा (2) अंतः स्थापित करना भी प्रस्तावित है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां आवेदन 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात किया गया है वहां धारा 11 और धारा 12 के उपबंध ऐसे न्यास या संस्था की उस वित्तीय वर्ष के जिसमें ऐसा आवेदन किया जाता है, ठीक बाद के निर्धारण वर्ष के लिए आय के संबंध में लागू होंगे। उपर्युक्त संशोधनों के माध्यम से, किसी न्यास या संस्था के लिए इसके सृजन या स्थापना के एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल करना अपेक्षित नहीं होगा। इसके अलावा, आयुक्त की ऐसे आवेदन फाइल करने में हुए विलंब को माफ करके, पिछले वर्षों के लिए रजिस्ट्रीकरण करने की शक्ति को, हटाया जाएगा। तदनुसार, 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात फाइल किए गए आवेदनों के संबंध में, धारा 11 और धारा 12 के उपबंध उस वित्तीय वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष से लागू होंगे जिसमें आवेदन किया जाता है।

धारा 12क की उपधारा (1) के नए अंतःस्थापित किए गए खण्ड (कक) के अधीन न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित करने हेतु धारा 12क की उपधारा (1) और उप धारा (2) में भी पारिणामिक संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

ये संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होंगे।

[खंड 8 और खण्ड 9]

जहां कोई निर्देश अन्तरण मूल्यांकन अधिकारी को किया जाता है वहां निर्धारण करने के लिए समय सीमा का विस्तारण

आय कर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन उन मामलों में निर्धारण या पुनःनिर्धारण को पूरा करने के लिए निर्धारण अधिकारी के लिए वहां कोई अतिरिक्त समय उपलब्ध नहीं है जहां उपधारा 92गक के अधीन उसके द्वारा निर्देश अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार के असन्निकट कीमत के अवधारण के लिए अन्तरण मूल्यांकन अधिकारी को किया जाता है। चूंकि संवीक्षा के लिए मामलों के चयन के लिए समय सीमा उस मास के अन्त से एक वर्ष है। जिसमें विवरणी फाइल की गई थी, अन्तरण मूल्यांकन अधिकारियों को उनको निर्दिष्ट मामलों में अन्तरण मूल्यांकन की सार्थक संपरीक्षा करवाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है।

इस दृष्टि से कि अन्तरण मूल्यांकन अधिकारी साथ ही निर्धारण अधिकारी अन्तरण मूल्यांकन की संपरीक्षा कराने तथा अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहारों वाले मामलों में निर्धारण कराने के लिए पर्याप्त समय प्राप्त करे, उन मामलों में निर्धारण या पुनः निर्धारण करने के लिए धारा 153 और धारा 153ख में विनिर्दिष्ट समय सीमा वहां पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव किया गया है जहां निर्देश अन्तरण मूल्यांकन अधिकारी को किया गया है।

ऐसे मामलों में पुनरीक्षित समय सीमा, पूर्वोत्तर धाराओं के अधीन विनिर्दिष्ट समय सीमाएं जो बारह मास तक बढ़ाई गई हो यह उपबंध करने के लिए यह और प्रस्ताव है कि निर्धारण/पुनर्निर्धारण करने के लिए नई कानूनी समय सीमा की समाप्ति से पूर्व अंतरण मूल्यांकन अधिकारी कम से कम दो मास पूर्व असन्निकट कीमत अवधारित करेगा।

धारा 92गक की उपधारा (4) के विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंध किया गया है कि उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन आदेश के प्राप्त हो जाने पर निर्धारण अधिकारी अन्तरण मूल्यांकन द्वारा उपधारा (3) के अधीन अवधारित सन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए धारा 92ग की उपधारा (4) के अधीन निर्धारिती की कुल आय संगणित करने के लिए अग्रसर होगा धारा 92गक की उक्त उपधारा (4) का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 92गक की उपधारा (3) के अधीन आदेश की प्राप्ति पर, निर्धारण अधिकारी अन्तरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा धारा 92गक की उपधारा (3) के अधीन अवधारित असन्निकट कीमत के अनुरूप धारा 92ग की उपधारा (4) के अधीन निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने के लिए अग्रसर होगा।

ये संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होंगे या उन मामलों में भी लागू होंगे जहां अन्तरण मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश 1.7.2007 से पहले किया गया था परन्तु अन्तरण मूल्यांकन अधिकारी ने उक्त तारीख से पूर्व धारा 92गक की उपधारा (3) के अधीन आदेश पारित नहीं किया था।

[खंड 25, 39, 40]

आय-कर प्राधिकारियों की अधिकारिता के संबंध में सुव्यवस्थीकारक उपबंध

धारा 120 की उपधारा (4) के खंड (ख) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, बोर्ड, साधारण या विशेष आदेश और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं लिखित रूप में ऐसे आदेश जारी करने के लिए महानिदेशक या मुख्य आयुक्त या आयुक्त को सशक्त कर सकेगा कि यथास्थिति, किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र या व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों या आयों या आय के वर्गों या मामलों के वर्गों की बाबत इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त शक्तियां और संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक द्वारा प्रयोग की जा सकती है या समनुदेशित कृत्यों का पालन किया जा सकता है। जहां कोई आदेश इस खंड के अधीन किया जाता है, वहां इस अधिनियम किसी अन्य उपबंधों या तदधीन बनाए गए किसी नियम के प्रतिनिर्देश ऐसे संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक के प्रतिनिर्देश समझे जाएंगे जिनके द्वारा ऐसे आदेश के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जाना है या कृत्यों का पालन किया जाना है और संयुक्त आयुक्त के अनुमोदन या मंजूरी की अपेक्षा करने वाला इस अधिनियम का कोई उपबंध लागू नहीं होगा।

उक्त धारा की उपधारा (4) के खंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग या उसको समनुदेशित कृत्यों का पालन भी अपर आयुक्त द्वारा किया जा सके।

यह संशोधन 1 जून, 1994 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

यह उपबंध करने के लिए उक्त खंड का संशोधन करने के लिए यह प्रस्ताव किया है कि निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग या उसे समनुदेशित कृत्यों का पालन अपर निदेशक द्वारा भी किया जा सकेगा।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 जून, 1996 से प्रभावी होगा।

[खंड 33]

उपाबंध रहित विवरणियों को सुकर बनाने के लिए नियम

धारा 139 की उपधारा (9) के स्पष्टीकरण में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, यह उपबंध किया जाता है कि आय की विवरणी तब तक न्युट्रिपूर्ण नहीं समझी जाएगी जब तक उक्त धारा के स्पष्टीकरण के खंड (क) से (च) में निर्दिष्ट शर्तें पूरी नहीं कर दी जाती हैं। वित्त अधिनियम, 2006 ने उक्त उपधारा (9) में एक परंतुक अंतःस्थापित करके संशोधन किया, जिसके द्वारा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को स्पष्टीकरण के खंड (क) से (च) में निर्दिष्ट किसी भी शर्त को समाप्त करने की शक्ति दी गई। तथापि, उक्त उपधारा के स्पष्टीकरण के खंड (क) से (च) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अलावा, अन्य धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट आय-कर अधिनियम के अधीन फायदों या कटौतियों का दावा करने के लिए दस्तावेज, विवरण, प्राप्ति, प्रमाणपत्र, संपरीक्षित रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज भी संलग्न करना अपेक्षित है।

एक नई धारा 139ग अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बोर्ड ऐसे व्यक्तियों के वर्ग या वर्गों के लिए उपबंध करने वाले नियम बना सकेगा, जिनसे ऐसे दस्तावेज, वितरण, प्राप्ति, प्रमाणपत्र, संपरीक्षित रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज फाइल करना अपेक्षित नहीं होगा, जिन्हें इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन विवरणी के साथ अन्यथा प्रस्तुतिकरण अपेक्षित है। तथापि, मांग किए जाने पर उक्त दस्तावेज, विवरण, प्राप्ति, प्रमाणपत्र, संपरीक्षित रिपोर्ट या कोई अन्य दस्तावेज निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

एक नई धारा 139घ को अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बोर्ड ऐसे व्यक्तियों के वर्ग या वर्गों के लिए यह उपबंध करने वाले नियम बना सकेगा, जिनसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी इलेक्ट्रॉनिक रूप में आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी; इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत न किए जाने वाले दस्तावेज, विवरण, प्राप्ति, प्रमाणपत्र या संपरीक्षित रिपोर्ट, किन्तु जिन्हें मांग किए जाने पर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है; ऐसे कम्प्यूटर संसाधन या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में आय की विवरणी संप्रेषित की जा सकेगी।

परिणामतः धारा 295 की उपधारा (2) में नए खंड (डडखक) और (डडखख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है, जो बोर्ड की नियम बनाने की शक्ति के संबंध में उपबंध करते हैं।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप में 1 जून, 2006 से प्रभावी होंगे।

चूंकि धारा 139 की उपधारा (9) के परंतुक में अन्तर्विष्ट उपबंधों को नई धारा 139ग और धारा 139घ में सम्मिलित किया गया है, इसलिए धारा 139 की उपधारा (9) के स्पष्टीकरण के परंतुक का लोप करने का प्रस्ताव किया जाता है।

यह संशोधन 1 जून, 2006 से प्रभावी होगा।

[खंड 35, 36 और 70]

धारा 142(2क) के अधीन विशेष संपरीक्षा से संबंधित उपबंध का सुव्यवस्थीकरण

धारा 142 की उपधारा (2क) के विद्यमान उपबंधों के अधीन यदि अपने समक्ष कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर निर्धारण प्राधिकारी की, निर्धारिती की लेखाओं की प्रकृति और जटिलता का तथा राजस्व के हित को ध्यान में रखते हुए, यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह मुख्य आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से निर्धारिती को निदेश दे सकेगा कि वह धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित और इस निमित्त मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित किसी लेखापाल से लेखाओं की संपरीक्षा कराए। लेखा परीक्षक इस निमित्त मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और विहित रूप में ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट फाइल करेगा जो ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप में हस्ताक्षरित और सत्यापित रिपोर्ट प्रस्तुत जिसमें ऐसी विशिष्टियां हों, जो विहित की जाएं तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां हों जिनकी निर्धारण अधिकारी अपेक्षा करे। धारा 142 की उपधारा (2घ) में यह उपबंध है कि उपधारा (2क) के अधीन किसी संपरीक्षा के व्यय तथा उसके आनुषंगिक व्यय (जिनके अंतर्गत लेखापाल का पारिश्रमिक) मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा अवधारित किए जाएंगे और निर्धारिती द्वारा संदत्त किए जाएंगे तथा ऐसे संदाय में व्यतिक्रम होने पर निर्धारिती से उस रीति से वसूल किए जा सकेंगे जो कर के बकाया की वसूली के लिए अध्याय 17घ में उपबंधित है।

आय-कर अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (2क) के उपबंधों का राजेश कुमार बनाम आय-कर उपायुक्त और अन्य [(287 आईटीआर 91 (2006)] के मामले में पुनर्विलोकन किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया कि निर्धारिती के लेखाओं की विशेष संपरीक्षा के लिए आय-कर अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन निदेश प्रकृति में प्रशासनिक नहीं है और एक न्यायिकल्प आदेश है। अतः, उक्त उपबंधों के अधीन विशेष संपरीक्षा का आदेश देने के लिए कोई विनिश्चय करते समय अन्य बातों के साथ मनमानी को न्यूनीकृत करने के लिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त लागू किए जाने अपेक्षित हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह और संप्रेक्षण किया कि "लेखाओं की प्रकृति तथा जटिलता को ध्यान में रखते हुए" पद महत्वपूर्ण है और यदि

निर्धारिती को सूचना दी जाती है, तो वह यह दर्शित कर सकता है कि लेखाओं की प्रकृति वैसी नहीं है जैसी वह विशेष संपरीक्षक की नियुक्ति की अपेक्षा करें, और निर्धारिती यह और दर्शित कर सकता है कि जिसे निर्धारण अधिकारी जटिल समझता है, तथ्यतः, वह ऐसा नहीं है। इन कारणों से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 42 की उपधारा (2क) के अधीन विशेष संपरीक्षा का आदेश देने के लिए विनिश्चय करने से पूर्व निर्धारिती को एक अवसर दिया जाना आवश्यक है। यह विवादक मैसर्स सहारा इन्डिया के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के विचारार्थ आया। माननीय न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया कि राजेश कुमार और अन्य के मामले में विनिश्चय में विधि की सही स्थिति दिखाई नहीं देती है और तदनुसार विषय बृहत् खंड पीठ को निर्दिष्ट किया गया। न्यायालय ने यह भी निदेश दिया कि विशेष संपरीक्षा का निदेश देने वाला आदेश है, प्रवर्तन में रहेगा और निर्धारण कार्यवाहियां, यदि कोई हों, इस मामले में याचिका के परिणाम के अधीन रहते हुए जारी रहेंगी। बृहत् खंडपीठ का विनिश्चय प्रतीक्षित है।

आय-कर अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन विशेष संपरीक्षा का आदेश देने से पूर्व निर्धारिती को सुनवाई का अवसर अनुज्ञात करने का कोई विधायी आशय नहीं है। तदनुसार आय-कर विभाग ने करदाता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना अनेक वर्षों से असंख्य विशेष संपरीक्षा के आदेश दिए हैं। जबकि ऐसे असंख्य मामलों को ध्यान में रखते हुए, जहां पूर्व में ऐसी संपरीक्षा का आदेश दिया गया है वहां उक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का सादर पालन करते हुए, राजेश कुमार और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय के अनुपात को प्रभावी करना साध्य नहीं है, भविष्यलक्षी रूप से यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि निर्धारण अधिकारी लेखाओं को इस प्रकार संपरीक्षित कराने के लिए निर्धारिती को तब तक निदेश नहीं देगा जब तक निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

प्राकृतिक न्याय की अपेक्षा को पूरा करने के लिए यह प्रस्ताव है कि निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को लेखाओं की इस प्रकार संपरीक्षा कराने के लिए तब तक निदेश नहीं देगा जब तक कि निर्धारिती को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो। उक्त उपधारा (2घ) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां निर्धारण अधिकारी द्वारा उपधारा (2क) के अधीन निर्धारिती को लेखाओं की संपरीक्षा कराने का कोई निदेश जारी किया जाता है, वहां ऐसी संपरीक्षा के या उससे अनुषंगी व्यय (जिनके अंतर्गत लेखापाल का पारिश्रमिक भी है) विहित किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा अवधारित किए जाएंगे और इस प्रकार अवधारित व्ययों का संदाय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

ये संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होंगे।

[खंड 37]

तालाशी मामलों का निर्धारण-निर्धारण और पुनः निर्धारण के आदेशों का संयुक्त आयुक्त द्वारा अनुमोदन किया जाना

विद्यमान उपबंधों के अधीन ऐसे मामलों में जहां धारा 132 के अधीन तलाशी ली गई है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की गई है, निर्धारण और पुनःनिर्धारण करने के लिए निर्धारण हेतु अनुमोदन अपेक्षित नहीं है।

एक नई धारा 15घ को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि संयुक्त आयुक्त से निम्न पंक्ति के किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना निर्धारण पुनःनिर्धारण का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। यह प्रस्ताव किया जाता है कि ऐसे उपबंध को ऐसे पूर्व वर्ष से, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी ली गई थी या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की गई थी, सुसंगत निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती छह निर्धारण वर्षों के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष के संबंध में धारा 153क के खंड (ख) के अधीन पारित निर्धारण या पुनः निर्धारण के आदेशों को लागू किया जाए। यह और प्रस्ताव किया जाता है कि इस उपबंध को, ऐसे पूर्व वर्ष से, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी ली गई थी या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की गई थी, सुसंगत निर्धारण वर्ष के संबंध में धारा 153ख के खंड (ख) के अधीन पारित निर्धारण के आदेशों को लागू किया जाए। उक्त नई धारा के उपबंध धारा 153क में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के मामले में और धारा 153ग में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति के मामले में लागू होंगे।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

[खंड 41]

धारा 172 के अधीन फाइल की गई विवरणियों के निर्धारण को पूरा करने के लिए समय सीमा उपबंधित करना

धारा 172 के उपबंध अनिवासियों के पोत परिवहन कारबार से संबंधित हैं, जो अन्य बातों के साथ, पोत के प्रस्थान से पूर्व या कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए पोत के प्रस्थान की तारीख से तीस दिन की अधिकतम अवधि के भीतर विवरणियां तैयार करने और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करती है। तथापि, उक्त धारा के अधीन उपबंध उसकी उपधारा (3) के अधीन दी गई विवरणी के संबंध में निर्धारण पूरा करने के लिए किसी समय सीमा का उपबंध नहीं करते हैं।

अतः, संशोधन यह उपबंध करने हेतु एक नई उपधारा (4क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव करता है कि आय-कर का निर्धारण करने और उस पर संदेय कर की राशि का अवधारण करने वाला कोई आदेश उक्त धारा के अधीन उस वित्तीय वर्ष के अंत से नौ मास की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा जिसमें उपधारा (3) के अधीन विवरणी दी जाती है।

संशोधन उक्त उपधारा में एक परंतुक अंतःस्थापित किए जाने का और प्रस्ताव करता है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां उपधारा (3) के अधीन कोई विवरणी 1 अप्रैल, 2007 से पूर्व दी जाती है वहां आय का निर्धारण करने और उस पर संदेय कर की राशि का अवधारण करने वाला आदेश 31 दिसंबर, 2008 को या उसके पूर्व किया जाएगा। यह धारा 172 के अधीन सभी लंबित निर्धारणों को पूरा करने के लिए एक लंबी समय सीमा प्रदान करेगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होंगे।

[खंड 42]

ब्याज की संगणना के लिए पद्धति को प्रति वर्ष आधारित पद्धति से प्रति मास आधारित पद्धति बनाकर परिवर्तित करना

धारा 201 की उपधारा (1क) यह उपबंध करती है कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती नहीं की है या जो कटौती करने के पश्चात् अधिनियम के अधीन आदेश किए गए अनुसार कर का संदाय करने में असफल रहा है, ऐसे कर के कटौती योग्य बनने की तारीख से वास्तविक रूप में ऐसे कर का संदाय करने की तारीख तक ऐसे कर की रकम पर बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

दूसरी ओर आय-कर अधिनियम के अन्य उपबंधों, जो निर्धारिती से ब्याज प्रभारित करने से संबंधित हैं, अर्थात् धारा 220, 234क, 234ख और 234घ के अधीन निर्धारिती से प्रभार्य ब्याज की गणना ऐसी अवधि में, जिसके लिए ब्याज प्रभारित किया जाना है, प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए की जाती है। धारा 234ग(1)(क)(i) के अधीन, उस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए एक प्रतिशत प्रति मास की दर से साधारण ब्याज प्रभारित किया जाता है। धारा 244क के, जिसके अधीन निर्धारितियों को प्रतिदायों पर ब्याज का संदाय किया जाता है, अधीन भी ब्याज की संगणना प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए की जाती है।

प्रति वर्ष आधार पर और प्रति मास आधार पर ब्याज की संगणना में अंतर, इन दो पद्धतियों के अधीन ब्याज की संगणना के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में निहित है। जब ब्याज की गणना प्रति वर्ष आधार पर की जाती है, तो किसी मास के भाग की अनदेखी की जाती है और जब ब्याज की संगणना प्रत्येक मास

या मास के लिए की जाती है, तो किसी मास के भाग को पूरा मास माना जाता है और संपूर्ण मास के लिए ब्याज की संगणना की जाती है। नियम 119क की विरचना में इस सिद्धांत का पालन किया गया है, जो वार्षिक या मासिक आधार पर ब्याज की संगणना के लिए प्रक्रिया का उपबंध करता है।

धारा 220(2), 234क, 234ख, 234ग, 234घ और 244क के व्यापक रूप से लागू उपबंधों के अधीन ब्याज प्रति मास आधार पर प्रभावी है। तदनुसार, संशोधन ब्याज की संगणना की पद्धति को धारा 132ख की उपधारा (4) के खंड(क), धारा 201 की उपधारा (1क), धारा 245घ की उपधारा (6क), आय-कर अधिनियम की दूसरी अनुसूची के नियम 60(1)(क) और नियम 68क(3) और धन-कर अधिनियम की धारा 22ख की उपधारा (6क) के अधीन विद्यमान प्रति वर्ष आधार पर संगणना से प्रति मास आधार पर संगणना में परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है।

मासिक आधार पर ब्याज की संगणना करने की विधि में परिवर्तन से संबंधित प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2008 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए संदेय ब्याज के संबंध में लागू होंगे। 31 मार्च, 2008 को या उसके पूर्व समाप्त होने वाली किसी अवधि के लिए, उपरोक्त वर्णित धाराओं के अधीन ब्याज वार्षिक आधार पर भारित या संदत रहना जारी रहेगा, जिन्हें संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। तथापि, 31 मार्च, 2008 को या उसके पूर्व प्रारंभ होने वाली तथा उस तारीख के पश्चात् समाप्त होने वाली किसी अवधि के संबंध में उस तारीख के पश्चात् आने वाली ऐसी अवधि के भाग के संबंध में ऐसा ब्याज प्रति मास आधार पर संगणित किया जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होंगे।

[खंड 34, 50 और 55]

धारा 206ग (6क) के अधीन किसी व्यक्ति को व्यतिक्रमी निर्धारिती ठहराने वाले आदेश के विरुद्ध अपील के अधिकार के लिए उपबंध

धारा 206ग की धारा (6क) के विद्यमान उपबंध संपूर्ण कर या उसके किसी भाग के संबंध में किसी व्यक्ति को कर संगृहीत करने के लिए व्यतिक्रमी निर्धारिती के रूप में उत्तरदायी समझते हैं, यदि वह अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में कर के संग्रहण में असफल रहता है या संग्रहण के पश्चात् संदाय करने में असफल रहता है। निर्धारण अधिकारी से ऐसे व्यक्ति को व्यतिक्रमी निर्धारिती समझने वाला आदेश पारित करने की अपेक्षा की जाती है।

उपरोक्त उपधारा (6क) के उपबंधों के अनुसार जब कर किसी व्यक्ति से वसूलनीय होता है कर संग्रहण और उसके संदाय के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति का दायित्व हो जाता है। इसलिए, ऐसे व्यक्ति को उसे व्यतिक्रमी निर्धारिती समझने वाले निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करने का हकदार होना चाहिए। धारा 201 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पारित समान आदेश के विरुद्ध पहले से ही विद्यमान अपील के लिए उपबंध, जहां उस व्यक्ति को व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाता है, यदि वह सरकारी खाते में कर की कटौती करने में असफल रहता है या कटौती के पश्चात् कर का संदाय करने में असफल रहता है।

इसलिए, यह संशोधन धारा 246 की उपधारा (1) में एक नया खण्ड (जख) अंतःस्थापित करने का उपबंध करता है जिससे कि व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा गया कोई व्यक्ति आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील कर सके।

यह संशोधन धारा 246 में एक नई उपधारा (1ख) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव करता है जिससे कि 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 जून, 2007 की पहली तारीख से पूर्व धारा 206ग की उपधारा (6क) के अधीन किए गए आदेश के विरुद्ध व्यतिक्रमी निर्धारिती द्वारा फाइल की गई अपील, आयुक्त (अपील) के समक्ष धारा 246 की उपधारा (1) के नए खण्ड (जख) के अधीन फाइल की गई समझी जाएगी।

ये संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होंगे।

[खंड 62]

कर की कटौती के दायित्व से इंकार करने वाले व्यक्ति द्वारा अपील का उपबंध

धारा 248 के विद्यमान उपबंधों के अधीन, यह उपबंधित है कि जहां कोई व्यक्ति, जिसने ब्याज से भिन्न ऐसी किसी राशि की बाबत जो इस अधिनियम के अधीन प्रभावी है, धारा 195 और धारा 200 के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती की है और संदाय किया है और जो ऐसी कटौतियां करने के अपने दायित्व से इंकार करता है, यह घोषित किए जाने के लिए आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा कि वह ऐसी कटौती करने के दायित्व के अधीन नहीं है।

धारा 248 को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी करार या अन्य ठहराव के अधीन धारा 195 के अधीन ब्याज से भिन्न किसी आय पर कटौती योग्य कर ऐसे व्यक्ति द्वारा वहन किया जाता है जिसके द्वारा आय संदेय है, और ऐसा व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार के खाते में ऐसे कर का संदाय कर देने के पश्चात् यह दावा करता है कि ऐसी आय पर किसी कर की कटौती किया जाना अपेक्षित नहीं या वहां इस घोषणा के लिए आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा कि ऐसी आय पर कर कटौती योग्य नहीं था।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

[खंड 63]

अपील के प्ररूप और परिसीमा का उपबंध: धारा 248 में किए गए संशोधन के पारिणामिक

धारा 249 की उपधारा (2) के विद्यमान उपबंधों के अधीन विभिन्न परिस्थितियों और ऐसी तारीखों का उपबंध जिनसे अपील फाइल करने के लिए तीस दिन की गणना की जाएगी। उपधारा (2) के खण्ड (क) के उपबंधों में यह उपबंध है कि जहां अपील किसी ऐसे कर के संबंध में है जिसकी कटौती धारा 195 की उपधारा (1) के अधीन की गई है वहां अपील फाइल करने के लिए तीस दिन की गणना कर के संदाय की तारीख से की जाएगी।

धारा 248 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि उस व्यक्ति द्वारा अपील करने का उपबंध किया जा सके, जिसने "कर के दायरे" ठहराव के अधीन अनिवासी की आय पर भारत में कर का संदाय करने के लिए कटौती योग्य कर का संदाय कर दिया है तथा जो कर का संदाय करने के दायित्व से इंकार करता है। परिणामस्वरूप, धारा 249 की उपधारा (2) के खण्ड (क) को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 248 के अधीन अपील की जाती है, वहां विहित समय कर के संदाय की तारीख से संगणित किया जाएगा।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

[खंड 64]

पूर्त संस्थाओं और निधियों के अनुमोदन से संबंधित उपबंध

धारा 80छ के विद्यमान उपबंधों के अधीन, कतिपय निधियों, पूर्त संस्थाओं को संदान के संबंध में कटौतियां, दाता की कराधेय आय से उपलब्ध हैं। उक्त धारा निधियों के दो प्रवर्गों का उपबंध करती है पहली वह जो उपधारा (2) में वर्णित हैं और दूसरी वे निधियां जो उक्त धारा की उपधारा (5) के खण्ड (vi) के अधीन आयुक्त द्वारा अनुमोदित हैं।

वर्तमान में, धारा 253 के अधीन आयुक्त द्वारा धारा 80छ(5)(vi) के अधीन अनुमोदन खारिज किए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण में कोई अपील नहीं की जा सकती है। इसलिए, धारा 253 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है जिससे आयुक्त के ऐसे आदेशों के विरुद्ध अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करना अनुज्ञात किया जा सके।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

[खंड 65]

अपील अधिकरण द्वारा रोक आदेश के लिए समय सीमा विहित करना

धारा 254 के विद्यमान उपबंधों के अधीन, अपील अधिकरण इसके समक्ष फाइल की गई अपील के संबंध में किसी कार्यवाही में रोक आदेश पारित कर सकता है। ऐसे मामलों में, अपील अधिकरण ऐसे आदेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करता है। यदि अपील का उस अवधि के भीतर विनिश्चय नहीं की जाता जिसके लिए रोक आदेश जारी किया गया था, तो रोक आदेश रोक अवधि के अवसान के पश्चात् निष्प्रभावी हो जाएगा।

धारा 254 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अपील अधिकरण निर्धारिती द्वारा किए गए आवेदन पर और आवेदन के गुणागुण पर विचार करने के पश्चात् धारा 253 की उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई किसी अपील से संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों में, ऐसे आदेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिन से अनधिक की अवधि के लिए रोक आदेश पारित कर सकेगा। अपील अधिकरण उस आदेश में विनिर्दिष्ट रोक की उक्त अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि यदि ऐसी अपील का निपटारा रोक आदेश में यथा विनिर्दिष्ट रोक की उक्त अवधि के भीतर इस प्रकार नहीं किया जाता है तो अपील अधिकरण निर्धारिती द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त अपील का निपटारा करने में विलंब निर्धारिती के कारण नहीं हुआ है, रोक की अवधि को विस्तारित कर सकेगा या ऐसी और अवधि या अवधियों के लिए रोक आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ; किंतु आरंभिक रूप से अनुज्ञात अवधि और इस प्रकार विस्तारित या अनुज्ञात अवधि या अवधियों का योग किसी भी दशा में तीन सौ पैंसठ दिन से अधिक नहीं होगा और अपील अधिकरण इस प्रकार विस्तारित या अनुज्ञात रोक की अवधि के भीतर उक्त अपील का निपटारा करेगा।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि यदि अपील का निपटारा आरंभिक रूप से अनुज्ञात रोक की अवधि के भीतर या बाद में विस्तारित या अनुज्ञात रोक की अवधि या अवधियों के भीतर इस प्रकार नहीं किया जाता है तो रोक आदेश ऐसी अवधि या अवधियों की समाप्ति के पश्चात् निष्प्रभावी हो जाएगा।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

[खंड 66]

आय-कर अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाहियों में अभिगृही लेखाबहियां बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज के संबंध में उपधारणा का स्पष्टीकरण

धारा 132 की उपधारा (4क) को विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंध है कि जहां कोई लेखाबहियां, अन्य दस्तावेज, धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज, किसी तलाशी के दौरान किसी व्यक्ति के कब्जे में या नियंत्रण में पायी जाती हैं या है, वहां इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसी लेखाबहियां, अन्य दस्तावेज, धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज ऐसे व्यक्ति की हैं या उससे संबंधित हैं; ऐसी लेखाबहियां और अन्य दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु सत्य हैं; और हस्ताक्षर और ऐसी लेखाबहियों और अन्य दस्तावेजों का प्रत्येक अन्य भाग, जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होना तात्पर्यित है या उसके बारे में युक्तियुक्त रूप से यह माना जा सकता है कि वे किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हैं या उसके हस्तलेख में हैं, उस व्यक्ति के हस्तलेख में हैं और स्टांपित, निष्पादित या अनुप्रमाणित किसी दस्तावेज की दशा में यह माना जा सकेगा कि वह उस व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से स्टांपित और निष्पादित या अनुप्रमाणित किया गया था जिसके द्वारा उसका इस प्रकार निष्पादित या अनुप्रमाणित किया जाना तात्पर्यित है।

एक नई धारा 292ग अन्तःस्थापित की गई है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि धारा 132 की उपधारा (4क) में उपबंधित उपधारणा इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही में की जा सकती है।

धन-कर अधिनियम में एक नई धारा 42घ अन्तःस्थापित करके समान संशोधन करने का भी प्रस्ताव है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अक्टूबर, 1975 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा।

[खंड 69 और 84]

पुनरीक्षित समझौता स्कीम

आय-कर अधिनियम के अध्याय 19क में समझौता आयोग द्वारा मामले के समझौते से संबंधित उपबंध अन्तर्विष्ट है। किसी निर्धारिती का कर दायित्व अवधारित करते समय विलंब से बचने के उद्देश्य से, जो कि कार्यवाहियों की पुनरावृत्ति, मामले का निपटान करने में कानून समय सीमा के अभाव के कारण कारित हुआ और समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाहियों को सरल करने के उद्देश्य से आय-कर अधिनियम के उक्त अध्याय 19क के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है, किए जाने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं—

(i) विद्यमान उपबंधों के अधीन कोई निर्धारिती किसी आय-कर प्राधिकारी के समक्ष लम्बित अपने मामले में कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर आयोग को आवेदन कर सकता है। यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि 31 मई, 2007 के पश्चात् कोई निर्धारिती निर्धारण अधिकारी के समक्ष रहने के कार्यवाही लंबित रहने के दौरान ही आवेदन कर सकेगा। यह और कि निर्धारण कि निम्नलिखित कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान किसी निर्धारिती को आयोग के समक्ष आवेदन करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(क) धारा 148 के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में निर्धारण/पुनःनिर्धारण कार्यवाहियां । इन कार्यवाहियों को उस तारीख से प्रारंभ हुआ माना जाएगा जिस तारीख से धारा 148 के अधीन सूचना जारी की गई थी;

(ख) पूर्ववर्ती वर्ष जिसमें धारा 132 के अधीन कोई तलाशी संचालित की गई थी या धारा 132क के अधीन अध्यक्षता की गई थी, से सुसंगत पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष से प्रत्येक छह निर्धारण वर्षों के लिए धारा 153क के अधीन निर्धारण या पुनः निर्धारण कार्यवाहियां; और ऐसे व्यक्तियों की दशा में पूर्व वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी संचालित की गई या धारा 132क के अधीन अध्यक्षता की गई थी, के निर्धारण या पुनः निर्धारण के लिए कार्यवाहियां भी। ये कार्यवाहियां उस तारीख को प्रारंभ हुई मानी जाएंगी जिसको धारा 132 के अधीन तलाशी ली गई थी या धारा 132क के अधीन अध्यक्षता की गई थी।

(ग) नए निर्धारण के लिए कार्यवाहियां जहां मूल निर्धारण धारा 254 के अधीन अपील अधिकरण द्वारा या धारा 263 या धारा 264 के अधीन आयुक्त द्वारा अपास्त कर दिया गया था। ऐसी कार्यवाहियां उस तारीख से आरम्भ हुई मानी जाएंगी जिस तारीख से मूल निर्धारण को अपास्त करने वाला आदेश पारित किया गया था।

(ii) विद्यमान उपबंधों के अधीन, कोई आवेदन केवल तभी किया जा सकता है जब आवेदन में प्रकट की गई संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम 1 लाख रुपए से अधिक हो। इस सीमा को बढ़ा कर 3 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है।

- (iii) विद्यमान उपबंधों के अधीन, आवेदन में प्रकटित आय पर संदेय आय-कर का संदाय धारा 245घ की उपधारा (1) के अधीन आवेदन पर कार्यवाही अनुज्ञात करने के पश्चात् करना होता है। यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि ऐसा कर, ब्याज सहित, यदि कोई हो, तो आवेदन करने की तारीख से पहले संदत्त किया जाएगा और ऐसे संदाय का सबूत आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा। यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि आवेदक निर्धारण अधिकारी को, आयोग के समक्ष आवेदन करने की तारीख को आवेदन की एक प्रति भेजेगा।
- (iv) विद्यमान उपबंधों के अधीन, आयोग किसी आवेदन की प्राप्ति पर आयुक्त से एक रिपोर्ट मंगाएगा। ऐसी रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सामग्री पर विचार करने के पश्चात् और मामले की प्रकृति और परिस्थितियों को या अन्तर्वलित अन्वेषण की जटिलता को ध्यान में रखते हुए आयोग आवेदन को नामंजूर करने या उस पर कार्यवाही अनुज्ञात करने का आदेश करता है। विद्यमान उपबंधों को अधीन आवेदन को नामंजूर करने या कार्यवाही के लिए अनुज्ञात करने की कोई कानूनी सीमा नहीं है। तथापि, उस मास की समाप्ति से जिसमें ऐसा आवेदन किया गया था एक वर्ष की सुझाई गई अवधि का उपबंध किया गया है। यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि समझौता आयोग आवेदन की प्राप्ति के सात दिन के भीतर आवेदक को यह स्पष्ट करने के लिए सूचना जारी करेगा कि उसके आवेदन को स्वीकार क्यों किया जाए। तत्पश्चात् आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों के भीतर समझौता आयोग आवेदन को नामंजूर करने के लिए या उस पर कार्यवाही अनुज्ञात करने के लिए आदेश पारित करेगा। किसी मामले में अन्तर्वलित अन्वेषण की जटिलता किसी आवेदन को मंजूर करने या नामंजूर करने का मापदंड नहीं होगी। और यह कि पूर्वोक्त अवधि के भीतर आवेदन को मंजूर करने या नामंजूर करने का कोई आदेश नहीं किया जाता है तो आवेदन को कार्यवाही करने के लिए मंजूर किया गया समझा जाएगा। निम्नलिखित का उपबंध करने का भी प्रस्ताव है—
- (क) 1 जून, 2007 से पहले किए गए आवेदन जो कि उस तारीख तक नामंजूर या कार्यवाही के लिए मंजूर किए जाने के लिए लम्बित हैं को कार्यवाही करने के लिए अनुज्ञात माना जाएगा, यदि, आवेदन में प्रकटित आय पर ब्याज सहित कर का संदाय 31 जुलाई, 2007 से या उससे पहले कर दिया जाता है। यदि पूर्वोक्त तारीख को या उससे पहले ऐसे कर और ब्याज का संदाय नहीं किया जाता है तो आवेदन को नामंजूर हुआ माना जाएगा;
- (ख) उन आवेदनों की बाबत जो 1 जून, 2007 को स्वीकार किए गए थे परन्तु समझौता आदेश उक्त तारीख से पहले पारित नहीं किया गया था, आवेदन में घोषित आय तथा उस पर ब्याज पर कर 31 जुलाई, 2007 को या उससे पहले संदत्त करना होगा। कर और ब्याज उन मामलों में भी इस तारीख तक संदत्त करना होगा, जिनमें आयुक्त ने उक्त तारीख से परे कर के संदाय के लिए या कोई विस्तारण या किस्त के लिए मंजूरी पहले दे दी है। यदि कर और ब्याज का संदाय 31 जुलाई, 2007 को या उससे पूर्व नहीं किया जाता है तो आवेदन पर आगे कार्यवाही किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और आयोग के समक्ष कार्यवाहियां 31 जुलाई, 2007 को उपशमन हो जाएंगी।
- (v) यदि 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किए गए आवेदन पर कार्यवाही की जानी अनुज्ञात की जाती है तो समझौता आयोग उस तारीख से 30 दिन के भीतर आयुक्त को एक सूचना जारी करेगा जिसको आवेदन प्राप्त किया गया था। ऊपर (iv) (क) में निर्दिष्ट आवेदनों की दशा में, यदि कर और ब्याज 31, जुलाई, 2007 से पहले संदत्त कर दिया गया है तो ऐसी सूचना 7 अगस्त, 2007 को या उससे पहले आयुक्त को जारी की जाएगी। आयुक्त उस तारीख से 30 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट भेजेगा जिसको समझौता आयोग से सूचना उसके द्वारा प्राप्त की गई हो।
- (vi) आयोग की रिपोर्ट प्राप्त किए जाने पर, समझौता आयोग आवेदक और आयुक्त को रिपोर्ट की प्राप्ति तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर सुनेगा। यदि यह पाया जाता है कि आवेदन एक वैध आवेदन नहीं था, तो आयोग एक आदेश पारित करके ऐसे आवेदन को अवैध घोषित करेगा। किसी आवेदन को अवैध घोषित करने वाले आदेश की प्रति आवेदक और आयुक्त को भेजी जाएगी। यदि आवेदन अवैध घोषित किया जाता है तो आयोग के समक्ष कार्यवाहियां उपशमन हो जाएंगी। यदि आयुक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर रिपोर्ट नहीं भेजता है तो, आयोग आयुक्त की रिपोर्ट के बिना विषय में कार्यवाही कर सकेगा।
- (vii) तारीख 1.7.2007 से पहले किए गए तथा ऊपर (iv)(क) या (iv)(ख) में निर्दिष्ट ऐसे आवेदनों की बाबत जो, यथास्थिति, अवैध घोषित नहीं किए जाते हैं, कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तो समझौता आयोग यदि, उसकी राय में ऐसा करना समीचीन है तो वह आयुक्त को ऐसी और जांच या अन्वेषण, जैसा वह ठीक समझे, करने के लिए या करवाने के लिए निदेश दे सकेगा। आयुक्त उस तारीख से 90 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसको समझौता आयोग से उसे संसूचना प्राप्त हो जाती है।
- (viii) आयोग, आयुक्त और आवेदक को, ऐसा अवसर देने के पश्चात् और आयुक्त और उसके साथ उपलब्ध अन्य सामग्री पर विचार करते हुए समझौता आदेश पारित करेगा। विद्यमान उपबंधों के अधीन समझौता आदेश करने की कोई समय सीमा नहीं है। यह प्रस्ताव किया जाता है कि आयोग उस मास के अन्त से 9 मास के भीतर ऐसा आदेश पारित करेगा जिसमें आवेदन प्राप्त किया गया था। समझौता आयोग, ऊपर खंड (iv)(क) या खंड (iv)(ख) में निर्दिष्ट आवेदनों की बाबत 31 मार्च, 2008 को या उससे पहले आदेश पारित करेगा।
- (ix) विद्यमान उपबंधों के अधीन, यह उपबंध किया जाता है कि आयोग भारतीय दंड संहिता, आय-कर अधिनियम तथा किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम तथा किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगा। यह प्रस्ताव है कि यह उपबंध किया जाए कि आयोग आय-कर अधिनियम और धन-कर से भिन्न किसी विधि के अधीन अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान नहीं करेगा। तथापि, लंबित आवेदनों की बाबत, विद्यमान उपबंध बने रहेंगे।
- (x) विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंध किया जाता है कि आयोग, यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो पूरी हो चुकी कार्यवाहियों को पुनः आरंभ कर सकेगा। ऐसी शक्ति को वापस लेने का प्रस्ताव किया जाता है। लंबित आवेदनों की बाबत आयोग को पूरी हो चुकी कार्यवाही को पुनः आरंभ करने की शक्ति नहीं होगी। जहां धारा 245 ग के अधीन कोई आवेदन, 1 जून, 2007 या उसके पश्चात् फाइल किया गया है।
- (xi) यह भी प्रस्ताव है कि 1.7.2007 को या उसके पश्चात् किया गया आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है या ऐसा आवेदन या उपरोक्त (iv) (क) में विनिर्दिष्ट किसी आवेदन को अविधिमाम्य घोषित किया जाता है या ऊपर खंड (iv)(ख) में निर्दिष्ट आवेदन पर अगली कार्यवाही किया जाना अनुज्ञात नहीं की जाती है या समझौता आदेश विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर समझौता आदेश पारित नहीं किया जाता है तो आयोग के समक्ष कार्यवाहियों का उपशमन हो जाएगा, और यथास्थिति ऐसा निर्धारण अधिकारी या अन्य आय-कर प्राधिकारी, जिसके समक्ष, आवेदन करते समय कार्यवाहियां लम्बित थीं, कार्यवाही पुनः आरंभ करेगा और उसे पूरी करेगा। निर्धारण अधिकारी को आवेदन द्वारा संदत्त कर और ब्याज के लिए प्रत्यय अनुज्ञात किया जाएगा। ऐसी तारीख से, जिसको आयोग के समक्ष आवेदन किया गया था और उस तारीख तक, जिसको कार्यवाहियों का उपशमन हो गया था, की अवधि को निर्धारण अधिकारी द्वारा कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए समय सीमा से अपवर्जित किया जाएगा।

- (xii) यह उपबन्ध करने के लिए यह भी प्रस्ताव किया गया है कि 1-6-2007 के पश्चात कोई निर्धारिती अपने जीवनकाल के दौरान केवल एक बार ही समझौते के लिए आवेदन कर सकता है। इस प्रयोजन के लिए ऐसा आवेदन जिसे स्वीकर नहीं किया गया था, तो उसे आवेदन के रूप में नहीं समझा जाएगा।
- (xiii) यह उपबन्ध करने का भी प्रस्ताव है कि "उपाध्यक्ष" की परिभाषा के अन्तर्गत किसी न्यायपीठ के सदस्यों में ज्येष्ठ सदस्य होगा, यदि न्यायपीठ में कोई उपाध्यक्ष नहीं है, तो उसकी अध्यक्षता न्यायपीठ के सदस्यों में ज्येष्ठ सदस्य द्वारा की जा सकती है;
- (xiv) धन-कर अधिनियम के अध्याय 5क में समझौता आयोग द्वारा धन-कर मामले को सुलझाने के लिए वैसे ही उपबन्ध अन्तर्विष्ट हैं। धन-कर अधिनियम में भी वैसे ही संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।
- (xv) ये संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होंगे।

[खंड 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61] और [खंड 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83]

प्रकीर्ण

ए.एस.ओ.एस.ए.आई-सचिवालय की आय के लिए छूट

धारा 10 का खण्ड (23 खखघ) यह उपबन्ध करता है कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन "ए.एस.ओ.एस.ए.आई.-सेक्रेटेरिएट" के रूप में रजिस्ट्रीकृत सेक्रेटेरिएट आफ एशियन आर्गेनाइजेशन ऑफ दि सुप्रीम आडिट इंस्टीट्यूशन के सचिवालय की 1 अप्रैल, 2001 को प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत सात पूर्व वर्षों के लिए कोई आय, कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एसओएसएआई का महासचिव है और इसका सचिवालय उसके कार्यालय से कृत्य करता है।

चूंकि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ए.एस.ओ.एस.ए.आई. के महासचिव के रूप में पदावधि को और तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, उक्त खण्ड को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे कि 1 अप्रैल, 2008 को प्रारंभ होने वाली तथा 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाली तीन निर्धारण वर्षों की और अवधि के लिए उक्त छूट को बढ़ाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और निर्धारण वर्ष 2008-2009, वर्ष 2009-2010 तथा 2010-2011 के संबंध में लागू होगा।

[खंड 6]

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की आय के लिए छूट

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 76 की उपधारा (1) के अधीन गठित केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की किसी आय को छूट प्रदान करने के लिए धारा 10 में एक नया खण्ड (23 ख ख छ) अंतः स्थापित करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 6]

वायुयान के प्रचालन के कारबार में लगी हुई पब्लिक सेक्टर कंपनियों का समामेलन

धारा 72क के विद्यमान उपबंधों के अधीन, समामेलक कंपनियों या कंपनी की संचयित हानि और अवक्षयनमोक का मुजरा समामेलित कंपनी के लाभ के के प्रति मुजरा किया जाएगा। वर्तमान में, औद्योगिक उपक्रम या पोत या होटल के स्वामित्व वाली कंपनी के किसी अन्य कंपनी के साथ समामेलन की दशा में यह फायदा उपलब्ध है। ऐसे फायदे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट बैंककारी कंपनी के किसी विनिर्दिष्ट बैंक में समामेलन के मामले में भी उपलब्ध है।

उक्त धारा की उपधारा (1) को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे कि 72क के अधीन उपलब्ध संचित हानि और अवक्षयन मोक को अग्रनीत और मुजरा करने के फायदों को किसी वायुयान के प्रचालन के कारबार में लगी हुई एक या अधिक पब्लिक सेक्टर कंपनी या कंपनियों से वैसे की कारबार में लगी हुई एक या अधिक पब्लिक सेक्टर कंपनी या कंपनियों से समामेलन को विस्तारित किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 17]

अनुषंगी फायदा कर

अनुषंगी फायदा कर के उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

धारा 115 बख अनुषंगी फायदों और समझे गए अनुषंगी फायदों को परिभाषित करती है। धारा 115ब ख में यह उपबन्ध है कि "अनुषंगी फायदों" से, अन्य बातों के साथ, नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों की निजी यात्राओं के लिए प्रदान किया गया कोई विशेषाधिकार, सेवा, सुविधा या सुख-सुविधा या कोई मुफ्त या रियायती टिकट और नियोजक द्वारा कर्मचारियों की किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में कोई अभिदाय अभिप्रेत है।

कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना को अनुषंगी फायदा कर की परिधि के भीतर लाने की दृष्टि से धारा 115बख की उपधारा (1) में नया खंड(घ) अंतः स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों को (जिनके अंतर्गत पूर्व कर्मचारी भी हैं) मुफ्त या रियायती दर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आबंटित या अंतरित किए गए स्वेट साम्या शेयर "अनुषंगी फायदों" की परिधि के भीतर लाया जा सके।

प्रस्तावित खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट प्रतिभूति" और "स्वेट साम्या शेयर" पदों को परिभाषित करने का प्रस्ताव है।

उक्त धारा 115 बख की उपधारा (2) में यह उपबन्ध है कि अनुषंगी फायदे नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों को तभी प्रदान किए गए समझे जाएंगे जब नियोजक ने अपने कारबार या वृत्ति के अनुक्रम में मनोरंजन, आतिथ्य, सम्मेलन, विक्रय संवर्धन जिसके अंतर्गत प्रचार भी है, के प्रयोजनों के लिए कोई व्यय उपगत किया है या कोई संदाय किया है। धारा 115ख ख की उपधारा (2) के खंड (घ) का परंतुक प्रचार सहित विक्रय संवर्धन से विज्ञापन पर कतिपय व्यय को निर्दिष्ट करता है। परंतुक का खंड (v) संकेतों, कला संकर्म, चित्रकला, बैनर आदि के द्वारा विज्ञापन की कुछ मदों पर व्यय निर्दिष्ट करता है। उक्त परंतुक का खंड (vii) डाक्टरों को औषधियों या चिकित्सा उपकरणों के मुफ्त नमूनों के वितरण पर व्यय को ही निर्दिष्ट करता है।

ऐसे अपवादों के विस्तार क्षेत्र को बढ़ाकर नियोजकों को अनुतोष देने के लिए धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (घ) के परंतुक के खंड (घ) का संशोधन और खंड (vii) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबन्ध किया जा सके कि उत्पादों के प्रदर्शन और उन्हें डाक्टरों सहित किसी भी व्यक्ति को किसी मद के नमूनों के मुफ्त या रियायती दर पर वितरण को अनुषंगी फायदों के मूल्यांकन के लिए "प्रचार सहित विक्रय संवर्धन" में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

धारा 115बग में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, धारा 115बख में निर्दिष्ट अनुषंगी फायदों के मूल्य की संगणना की पद्धति को उपबंधित किया गया है।

धारा 115बग की उपधारा (1) में एक नया खंड (खक) अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 115बख की उपधारा (1) के खंड (घ) में वर्णित विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेत साधारण शेयरों का कर्मचारी द्वारा विकल्प का प्रयोग किए जाने की तारीख को उचित बाजार मूल्य, जिसमें से कर्मचारी द्वारा वास्तव में प्रतिभूति या शेयरों की बाबत संदत्त या उससे वसूल की गई रकम को घटा दिया गया हो, धारा 115बख की उपधारा (1) के प्रस्तावित खंड (घ) में निर्दिष्ट अनुषंगी फायदे का मूल्य होगा।

“उचित बाजार मूल्य” पद को उस ढंग से, जो बोर्ड द्वारा विहित किया जाए, अवधारित मूल्य के रूप में परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है।

धारा 115बख की उपधारा (1) में खंड (घ) के अंतः स्थापन के परिणामस्वरूप, धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (iii) के परंतुक का लोप करने का भी प्रस्ताव किया जाता है, जो यह उपबंध करता है कि किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को, प्रत्यक्षतः शेयर डिबेंचर या वारंटों का आबंटन करके या अप्रत्यक्षतः केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को कंपनी द्वारा प्रस्थापित किसी कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना या स्कीम के अधीन मुफ्त या रियायती दर उपलब्ध कराए गए किसी फायदे का मूल्य धारा 17 के प्रयोजनों के लिए "परिलब्धि" नहीं है।

धारा 115बख की उपधारा (1) में खंड (ख क) के अंतःस्थापन के परिणामस्वरूप, जो धारा 115 ब ख की उपधारा (1) के खंड (छ) में निर्दिष्ट अनुषंगी प्रस्ताव फायदों के मूल्य के लिए उपबंध करता है, यह भी प्रस्ताव किया गया है कि धारा 49 में एक नई उपधारा (2कख) अंतः स्थापित की जाए, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा की उक्त उपधारा (2क) के प्रयोजनों के लिए, उसमें विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेत साम्या शेयरों के अर्जन की लागत, धारा 115 ब ग की उपधारा (1) के प्रस्तावित खंड (ख क) के अधीन मूल्य होगी, यदि ऐसे मूल्य को अनुषंगी फायदा कर के उद्ग्रहण के प्रयोजनों के लिए गणना के लिए गणना में लिया गया है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावित होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 10, 14, 30 और 31]

अनुषंगी फायदों पर अग्रिम कर के संदाय की नियत तारीख का आय पर अग्रिम कर की तारीखों का समायोजन

धारा 115बज यह उपबंध करती है कि ऐसा प्रत्येक निर्धारिती, जो अपने वर्तमान अनुषंगी फायदों पर अग्रिम कर का संदाय करने का दायी है, उसका संदाय स्वयमेव करेगा।

धारा 115बज की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि वित्तीय वर्ष में धारा 115बग में निर्दिष्ट अनुषंगी फायदों पर संदेय अग्रिम कर की रकम प्रत्येक तिमाही में संदत्त या संदेय के मूल्य का तीस प्रतिशत होगा और ऐसे तिमाही के पश्चातवर्ती मास की 15 तारीख को या उससे पूर्व संदेय होगी। तथापि, वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए संदेय अग्रिम कर उक्त वित्तीय वर्ष की 15 मार्च को या उससे पूर्व संदेय होगा।

धारा 115बज की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि जहां कोई निर्धारिती अग्रिम कर का संदाय करने में असफल रहा है या जहां उसके द्वारा संदत्त अग्रिम कर तीस प्रतिशत से कम है वहां वह उस रकम के, जिससे संदत्त अग्रिम कर प्रत्येक मास या ऐसे मास के भाग के लिए, नियत तारीख तक संदेय रकम से कम होता है, जिसके लिए कमी बनी रहती है, अनुषंगी फायदों के मूल्य के तीस प्रतिशत पर साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

उक्त धारा की उपधारा (2) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि वर्तमान अनुषंगी फायदों पर अग्रिम कर की रकम ऐसी सभी कंपनियों द्वारा संदेय होगी, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान चार किस्तों में उसका संदाय करने के लिए दायी हैं। कंपनियां वित्तीय वर्ष की 15 जून को या उससे पूर्व ऐसे अग्रिम कर के पन्द्रह प्रतिशत; 15 सितंबर को या उससे पूर्व, पूर्ववर्ती किस्तों में संदत्त रकम से घटाकर आए पैंतालीस प्रतिशत; 15 दिसंबर को या उससे पूर्व, पूर्ववर्ती किस्तों में संदत्त रकम से घटाकर आए पचहत्तर प्रतिशत से अन्यून; और 15 मार्च को या उससे पूर्व, पूर्ववर्ती किस्तों में संदत्त रकम से घटाकर आए संपूर्ण रकम का संदाय करेंगी। सभी निर्धारिती (कंपनियों से भिन्न) जो वर्तमान अनुषंगी फायदों पर अग्रिम कर का संदाय करने के लिए दायी हैं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान तीन किस्तों में उसका संदाय करेंगे। ऐसे निर्धारिती वित्तीय वर्ष की 15 सितंबर को या उससे पूर्व ऐसे अग्रिम कर के तीस प्रतिशत; 15 दिसंबर को या उससे पूर्व, पूर्ववर्ती किस्त में संदत्त रकम से घटाकर आए साठ प्रतिशत; और 15 मार्च को या उससे पूर्व, पूर्ववर्ती किस्तों में संदत्त किसी रकम से घटाकर आई संपूर्ण रकम का संदाय करेंगे।

उपधारा (2) के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप धारा 115बज की उपधारा (3) को प्रतिस्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां निर्धारिती अग्रिम कर का संदाय करने में असफल रहा है या उससे कम संदाय किया गया है वहां वह उस रकम के, जिससे संदत्त अग्रिम कर प्रत्येक मास या ऐसे मास के भाग के लिए, नियत तारीख तक संदेय रकम से कम होता है, जिसके लिए कमी बनी रहती है, एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

[खंड 32]

बैंककारी रोकड़ संव्यहार कर (बीसीटीटी)

बैंककारी रोकड़ संव्यहार (बीसीटीटी) कर के उपबंधों में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्थापनों का अपवर्जन और छूट सीमा का विस्तार

बैंककारी रोकड़ संव्यहार (बीसीटीटी) के विद्यमान उपबन्धों के अधीन जैसे कि वह वित्त अधिनियम, 2005 के अध्याय 8 में अंतर्विष्ट है। कराधेय बैंककारी संव्यहारों पर 0.1% की दर से (10 आधार बिंदु) कर उदग्रहीत किया जाता है। ऐसे बैंककारी संव्यहारों में - (i) व्यष्टियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के मामले में 25,000 रुपए से अधिक रोकड़ की निकासी (चाहे किसी भी माध्यम से) और अन्य कराधेय एककों के मामले में किसी एक दिवस को किसी अनुसूचित बैंक के किसी खाते से (बचत बैंक खाते से भिन्न); 1,00,000 रुपए और (ii) एक या अधिक आवधिक निक्षेपों, चाहे परिपक्वता या अन्यथा पर हों, के नकद भुगतान पर किसी एकल दिन को किसी अनुसूचित बैंक से विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक रोकड़ की प्राप्ति है। बी.सी.टी.टी. अन्य के साथ केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी कार्यालय या स्थापन द्वारा भी संदेय है।

उक्त धारा का संशोधन करने के लिए यह प्रस्ताव किया जाता है जिससे "व्यक्ति" की परिभाषा की परिधि से केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के कार्यालयों और स्थापनों को अपवर्जित किया जा सके।

उक्त धारा का संशोधन करने के लिए यह भी प्रस्ताव है कि जिससे व्यष्टियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के लिए कराधेय बैंकिंग संव्यहार की विद्यमान सीमा को वर्तमान में पच्चीस हजास से बढ़कर पचास हजार रुपए किया जा सके।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

[खंड 34]